TEN RUPEES दस रुपये TEN RUPEE दस रुपये TEN RUPEES

295

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर

प्रकरण कमांक– निगरानी / 2017–2018

निगरानी – 5843/2018/मंदसौर/भू.रा.

जगदीश पिता देवराम जाति कुल्मी धंधा कृषि
निवासी टकरावद तहसील मल्हारगढ जिला मन्दसौर ....आवेदक

बनाम

1. ओमप्रकाश पिता देवराम जाति कुल्मी
2. राजकुंवर बाई पिता देवराम पति रामगोपाल कुल्मी
दोनो निवासी टकरावद तहसील मल्हारगढ जिला मन्दसौर
3. म.प्र. शासन ....अनावेदकगण

प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 05.10.18 नियत।
क्लर्क ऑफ कोर्ट 17.9.18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

संबंधित प्रकरण कमांक 10–अ–27/2016–2017 न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार मल्हारगढ जिला मन्दसौर (ओमप्रकाश पिता देवराम वि. जगदीश पिता देवराम आदि) में आदेश पारित दिनांक 6/7/2018 से असंतुष्ट होकर यह निगरानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है ।

17/09/18

मान्यवर महोदय ,

आवेदक की ओर से निगरानी प्रार्थना पत्र निम्नवत प्रस्तुत है :–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

1. यह कि आवेदक द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 178 म.प्र.भू.रा.संहिता के तहत प्रस्तुत किया गया था तथा आवेदक एवं अनावेदकगण के स्वामित्व की खाता कमांक 173 सर्वे कमांक 913/2 रकबा 0.601 हे. का बटवारा किये जाने का निवेदन किया गया था जिसमें मौजा पटवारी द्वारा आदेशानुसार एवं नियमानुसार बटवारा फर्द प्रस्तुत की गई उक्त बटवारा फर्द पर अनावेदक कमांक 1 द्वारा आपत्ति की गई तथा स्वत्व के मान से बटवारा फर्द तलब करने का निवेदन किया गया । नायब तहसीलदार महोदय द्वारा बिना किसी आधार के विपरीत जाकर अनावेदक कमांक 1 का आपत्ति प्रार्थना पत्र दिनांक 16/07/2018 को स्वीकार कर मौजा पटवारी ग्राम टकरावद को दोबारा से स्वत्व के मान से बटवारा

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-5843/2018/मंदसौर/भू.रा. **जिला - मंदसौर**

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। पेशी दिनांक **प्रशासकीय सदस्य**	